उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–42/18–19

गंगाराम महतो वगै0

बनाम्

समरू महतो वगै0

–: आदेश :–

दिनांक 24/09/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता गंगाराम महतो, पे0–जेटल महतो वो मंटु महतो, पे0–गंगाराम महतो, सा0–परसपानी, थाना–गोड्डा (मु0), जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–49/15–16 आदेश दिनांक–27.08.18 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–49/15–16 आदेश दिनांक–27.08.2018 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–परसपानी जमाबंदी सं0–62 दाग नं0–1103 रकवा 00–03–15 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा परसपानी नं0–430 जमाबंदी सं0–62 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जदु महतो वल्द चुडू महतो के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–1103 रकवा 00–03–15 धुर जमीन बदलनामा के द्वारा दिनांक–17.03.08 को अपीलकर्त्ता के पूर्वज को प्राप्त हुआ था। उक्त जमीन के बदले में मौजा परसपानी के अन्तर्गत जमाबंदी सं0–32 दाग नं0–980 रकवा 00–02–12 धुर जमीन दिया गया था। बदलनामा का कागजात पंचायत के द्वारा वर्ष 1958 ई0 में बनाया गया था। बदलनामा के आधार पर अपीलकर्त्ता उक्त बदले में जमीन पर शांति पूर्ण ढंग से दखलकार थे, लेकिन वर्ष 2006 में गाँववालों के उकसावे में आकर उत्तरवादी समरू महतो ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत अनुमंडल दण्डाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में क्रि0मीस0 केश नं0–357/2006 दायर किया। उक्त वाद में

अनुमंडल दण्डाधिकारी गोड्डा के द्वारा जाँच कराया गया एवं उत्तरवादी के दावा को खारिज किया गया। उसके बाद वर्ष 2015 में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–49/15–16 दायर किया एवं उस उच्छेदी वाद में उत्तरवादी समरू महतो के द्वारा उस तथ्य को छिपाया गया कि उक्त जमीन बदलनामा से अपीलकर्त्ता को प्राप्त हुआ है। उनका आगे कथन है कि उक्त जमीन का स्वरूप वर्तमान समय में बदल गया है। क्योंकि उक्त जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है एवं अपीलकर्त्ता उस जमीन पर बनें मकान में सपरिवार रह रहें हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा परसपानी नं0 430 जमाबंदी सं0 62 दाग नं0 1103 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जदु महतो वल्द चुड़ महतो के नाम से दर्ज है अपीलकर्त्ता का गत रैयत से कोई संबंध नही है। अपीलकर्त्ता ने जबरन उत्तरवादी की पैतृक जमीन को कब्जा किया है। इसके लिए उत्तरवादी के द्वारा द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत वाद भी दायर किया गया था। इसके बाद भी अपीलकर्त्ता के द्वारा जमीन नही छोड़ने के कारण उत्तरवादी को उच्छेदी वाद दायर करना पड़ा है जिसके तहत अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय के द्वारा उच्छेद किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक 20/रा0 दिनांक 12/01/21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा परसपानी नं0–430 के जमाबंदी नं0–62 जो कि सर्वे खतियान में जादु महतो, सा0 परसपानी के नाम से दर्ज है। जमाबंदी नं0–62 में दाग नं0–1103 जो बाड़ी दोएम कहकर दर्ज है जिसका रकवा 00–03–15 मात्र है। वर्णित भूमि 1103 रकवा 00–03–15 मात्र जमीन खतियानी रैयत के वंशज समरू महतो वो दादन महतो सा0 परसपानी के द्वारा बदलनामा के तहत प्राप्त है, दावा किया है। दाग नं0–980 रकवा 00–02–12 दिया गया था जिस पर द्वितीय पक्ष को आपत्ति है। इस प्रकार दोनों पक्षो में विवाद चल

रहा है। उभय पक्षों द्वारा बदलनामा से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेज समर्पित नही किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा परसपानी नं0 430 जमाबंदी सं0 62 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में भीम महतो वो लछु महतो वल्द चुडू महतो के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0 1103 रकवा 00–03–15 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता ने बदलनामा से प्राप्त करने का दावा किया है, लेकिन न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील में बदलनामा से संवंधित वैध कागजात दाखिल किया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि उभ्य में विवाद चल रहा है एवं बदलनामा का कोई वैधानिक कागजात नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0 49/15–16 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

24/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

24/09/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:28:05 +05:30
Location: 192.168.29.32